कार्यालय उ0प्र0 सूचना आयोग, RTI भवन, विभूति खण्ड, लखनऊ

पत्रांक 221/उ0प्र0सू0आ0/रजिस्ट्रार/1(1)/2019 दिनांक:07:दिसम्बर:2021

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में शिकायतों/द्वितीय अपीलों/आदेश वापसी आवेदनों में पारित अंतरिम/अंतिम आदेशों की सत्यापित प्रतिलिपियॉ जारी किये जाने हेतु प्रतिलिपि अनुभाग कार्यरत है। अंतरिम/अन्तिम आदेशों की नकल जारी किये जाने हेतु पूर्व में कार्यालय आदेश संख्या 20/संयुक्त रजि0/उ0प्र0सू0आ0/2017 दिनॉक 15 फरवरी, 2017, पत्रॉक 47/रजि0/उ0प्र0रा0सू0आ0/2018 दिनॉक 15 फरवरी, 2018 तथा पत्रॉक 182/उ0प्र0सू0आ0/सचिव/2021 दिनॉक 30 सितम्बर, 2021 निर्गत किये गये हैं।

पूर्व में उ0प्र0 सूचना आयोग में अंतरिम/अंतिम आदेशों को उ0प्र0 सूचना आयोग के साफ्टवेयर/वेबसाईट पर अपलोड किये जाने का प्रावधान नहीं था। फलस्वरूप प्रतिलिपि अनुभाग में जो नकल आवेदन प्राप्त होते थे, उन्हें सम्बन्धित सुनवाई कक्ष या अभिलेखागार में प्रेषित किये जाने की व्यवस्था थी। वर्तमान में आयोग द्वारा पारित किये जाने वाले अंतरिम/अंतिम आदेश आयोग के साफ्टवेयर एवं वेबसाईट पर अपलोड किये जा रहे हैं, ऐसे में पक्षकारों के दृष्टिगत् यह अधिक सुविधाजनक है कि ऐसे अंतरिम/अंतिम आदेश, जो उ0प्र0 सूचना आयोग की वेबसाईट पर अपलोड हो चुके हैं, सीधे प्रतिलिपि अनुभाग से प्रिन्ट कर आवेदकों को उपलब्ध करा दिये जाएं, जिससे कि आवेदकों को आदेश की सत्यापित प्रतिलिपियॉ शीघ्रता से प्राप्त हो सकें।

अतः उक्त के दृष्टिगत् उपरोक्त वर्णित कार्यालय आदेशों के अतिरिक्त निम्न व्यवस्था की जाती है:-

(1) जिन प्रकरणों में आयोग द्वारा पारित अंतरिम/अंतिम आदेश उ0प्र0 सूचना आयोग के साफ्टवेयर/वेबसाईट पर अपलोड किये जा चुके हैं, उन्हें प्रतिलिपि अनुभाग द्वारा सीधे कम्प्यूटर से प्रिन्ट कर पक्षकारों को उपलब्ध करा दिया जायेगा। आदेशों की प्रतिलिपि जारी किये जाने हेतु आवेदन सम्बन्धित सुनवाई कक्ष या अभिलेखागार में उसी स्थिति में प्रेषित किये जायेंगे, जबकि आदेश आयोग के साफ्टवेयर (ECIS)/ वेबसाईट पर अपलोड न किया गया हो।

(2) प्रतिलिपि अनुभाग द्वारा नकल आवेदन प्राप्त करने अथवा नकल जारी किये जाने हेतु रजिस्टर में प्रविष्टियों की व्यवस्था वही रहेगी, जैसा कि पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेशों में उल्लिखित है। चूॅकि अपलोड किये जा चुके आदेशों के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदनों को सम्बन्धित सुनवाई कक्ष अथवा अभिलेखागार में भेजे जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, अतएव रजिस्टर में सम्बन्धित सुनवाई कक्ष एवं अभिलेखागार को नकल आवेदन प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में जो प्रविष्टियॉ की जाती हैं, वह इन प्रकरणों में नहीं की जायेगी।

(3) सुनवाई कक्षों के सभी आशुलिपिकों को निर्देशित किया जाता है कि वह आदेश को अपलोड किये जाने से पूर्व उस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होना सुनिश्चित

करेगें, क्योंकि आशुलिपिकों के द्वारा जो भी आदेश अपलोड किया जाता है, वही अंतिम रूप से प्रमाणित माना जाता है। अपलोड किये गये आदेश का प्रिन्ट निकाल कर, उसे सत्यापित कर, प्रतिलिपि अनुभाग द्वारा निर्गत कर दिया जायेगा। आयोग के साफ्टवेयर (ECIS)/ वेबसाइट पर आदेश अपलोड करने के उपरॉत उसमें कोई भी संशोधन, पीठासीन अधिकारी के लिखित आदेश के बिना नहीं किया जायेगा तथा यदि आदेश में कोई संशोधन किया जाना आवश्यक हो तो पीठासीन अधिकारी द्वारा संशोधित आदेश, जिसमें संशोधन का कारण अभिलिखित हो, अपलोड किया जायेगा।

(4) प्रतिलिपि अनुभाग में कार्यरत लिपिकगण द्वारा वॉछित आदेश की प्रति स्वयं आयोग के साफ्टवेयर (ECIS)/ वेबसाइट से निकालकर, उसको प्रमाणित करते हुए आवेदक को उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) जिन आवेदनों के सन्दर्भ में आदेश आयोग के साफ्टवेयर (ECIS)/ वेबसाइट पर अपलोड नहीं किये गये हैं, उनके सम्बन्ध में नकल जारी किये जाने की व्यवस्था उसी प्रकार बनी रहेगी, जैसा कि पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेशों में विहित है।

यह आदेश मा0 मुख्य सूचना आयुक्त के अनुमोदनोपरान्त जारी किये जा रहे हैं एवं तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

(प्रशान्त बिलगैयॉ)
रजिस्ट्रार

1) प्रतिलिपि निजी सचिव, मा0 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को इस आशय से कि वह मा0 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।
2) प्रतिलिपि निजी सचिव, मा0 राज्य सूचना आयुक्तगण को इस आशय से कि वह मा0 राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।
3) सचिव, उ0प्र0 सूचना आयोग।
4) उप सचिव, उ0प्र0 सूचना आयोग।
5) प्रशासनिक/जन सूचना अधिकारी, उ0प्र0सूचना आयोग।
6) समस्त आशुलिपिकगण।
7) प्रभारी नकल अनुभाग।
8) प्रभारी, नजारत अनुभाग को इस आशय से कि वह प्रतिलिपि अनुभाग में आवश्यक स्टाम्प/कम्प्यूटर/प्रिन्टर/यू0पी0एस0 तत्काल उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था करें।
9) कम्प्यूटर प्रोग्रामर को इस आशय से कि इस आदेश को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करें।

(प्रशान्त बिलगैयॉ)
रजिस्ट्रार